1. नजूल नीति तथा नामान्तरण नीति/प्राविधान

शासन के निर्देशानुपालन में नजूल भूमि का नामान्तरण आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। आगरा की नजूल भूमि का कार्य नगर निगम एवं जिलाधिकारी महोदय कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है। प्राधिकरण की अन्य सम्पत्तियों के नामान्तरण के सन्दर्भ में शासन के निर्देशानुसार भवन/भूमि के विक्रय मूल्य का 1 प्रतिशत एवं विलम्ब से सूचना देने पर रू0 200/– प्रति वर्ष की दर से लिये जाने का प्राविधान है। प्राधिकरण में नामान्तरण दो प्रकार से किये जाते है:–

1. विक्रय पत्र के आधार पर
2. वसीयत के आधार पर

1. उक्त दोनों प्रकार के नामान्तरण में विक्रय पत्र की प्रमाणित छायाप्रति एवं प्राधिकरण के नियम व शर्तो से बाध्य रहने का शपथ पत्र प्रदान करना होगा।
2. नामांकन की विज्ञप्ति हेतु दैनिक सामाचार पत्रों में आपत्ति मांगे जाने हेतु आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित करायी जाती है। आपत्ति का निस्तारण करने के बाद नामांकन की कार्यवाही की जाती है।

2. भवन/भूखण्ड के आवंटन/निरस्तीकरण/रिफण्ड के (प्राविधान)

1. भवन/भूखण्ड के आवंटन

प्राधिकरण द्वारा सृजित भवन/भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकरण के माध्यम से निर्धारित आरक्षित कोटे के साथ लॉटरी ड्रा के माध्यम से आवंटन किये जाने का प्राविधान है।

2. निरस्तीकरण

आवंटित सम्पत्ति की देय धनराशि जमा कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा नोटिस निर्गत करने के साथ ही दैनिक समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति करायी जाती है कि आवंटी को सूचना प्राप्त हो सके धनराशि जमा न कराने के कारण एवं तथ्यों को छुपाते हुए आवंटन के पश्चात ज्ञात होने पर आवंटन का निरस्तीकरण किया जाता है, सम्पत्ति के निरस्तीकरण के पश्चात यदि आवंटी चाहे तो 3 माह के अन्दर पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र देकर वर्तमान कीमत पर पुनर्जीवन करा सकता है।

3. रिफण्ड

आवंटन के निरस्तीकरण के पश्चात यदि आवेदक द्वारा जमा धनराशि के मूल चालान/आवंटन पत्र एवं धन वापसी के लिए पत्र प्रस्तुत करने पर शासन के निर्देशानुसार जमा धनराशि वापिस की जाती है।

3. सामुदायिक सुविधाओं के नाम एवं आवंटन की प्रक्रिया का विवरण:–

सामुदायिक सुविधाओं के नाम से भूखण्ड/निर्मित दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है, उच्चतम बोली दाता को आवंटन करते हुए 10 प्रतिशत धरोहर राशि व 15 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा कराने के पश्चात शेष 75 प्रतिशत धनराशि 3 वर्ष की 12 त्रैमासिक किस्तों में लिये जाने का प्राविधान है।